PRESS RELEASE

हापुड़ पुलिस **दिनांक: अक्टूबर 02, 2020**

छेड़खानी का मुकद्दमा लिखाने की धमकी देकर मोटर साईकिल, मोबाईल फोन तथा रूपये की वसूली करने वाले गिरोह के महिला सहित 03 शातिर अभियुक्तों को थाना पिलखुवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अद्द मोटर साईकिल बरामद

❖ **संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 01.10.2020 को थाना पिलखुवा पर वादी श्री गुलफाम पुत्र नवीन निवासी ग्राम खेडा कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड ने आकर तहरीर दी कि वह मसूरी से हापुड तक टैम्पो चलाने का कार्य करता है। कुछ दिन पहले एक निक्की नाम की महिला उसके टैम्पो में सवारी के रूप में बैठी और धीरे–धीरे मुझसे मित्रता हो गयी और उसने मेरा मोबाईल नम्बर भी ले लिया। वह अक्सर डासना और मसूरी के आस पास मुझसे मिलने लगी। दिनांक 29.09.2020 को उक्त महिला ने मुझे सरस्वती अस्पताल एनएच–24 के पास बुलाया और कहीं घूमने चलने की बात कही, जिस पर शाम के करीब 06:30 बजे बताये स्थान पर सरस्वती अस्पताल पर पहुंचा तो उक्त महिला मुझे मिली और मुझे बातों में लगा लिया तभी कुछ देर बाद उक्त महिला ने इशारा करके तीन लडकों को बुला लिया और उक्त महिला ने उनके सामने यह कहना शुरू कर दिया कि इसने मेरे साथ छेडछाड की है। इस पर उक्त महिला व उसके साथ के लडकों ने कहा कि तूने छेडछाड की है। तम्हारे खिलाफ थाने पर रिपोर्ट लिखायेंगे तथा उन्होंने रिपोर्ट लिखाने का डर दिखाकर मुझसे डेढ़ लाख रूपये की मांग की परन्तु मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी मोटर साईकिल अपाचे व अपना मोबाईल फोन ए–7 सैमसंग उनको दे दिया और वहां से किसी तरह मैं चला गया। ये लोग मुझसे 50 हजार रूपये की और मांग कर रहे हैं। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 398/20 धारा 386 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक हापुड महोदय द्वारा उक्त घटना में कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये गये, जिसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक हापुड महोदय के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पिलखुवा महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना पिलखुवा पुलिस को दिनांक 02.10.2020 को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब उ0नि0 श्री शिव कुमार द्वारा मय फोर्स के साथ महिला एवं उसके 02साथियों को डूहरी पैट्रोल पम्प से एचपीडीए को जाने वाली सडक पर गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से गुलफाम से ली गयी मो0सा0 अपाची नं0 यूपी 37 ई 4830 भी बरामद हुई गिरफ्तार व्यक्तियों ने बताया कि निक्की मूल रूप से शिवाजी नगर पिलखुवा की रहने वाली है। तथा यह अपना फर्जी पता मसूरी डासना का बताकर सवारी के रूप में मसूरी से हापुड के बीच आना जाना करती है।तथा वाहन स्वामी अथवा सवारी से रास्ते में दोस्ती करती है और बाद में उसे सूनसान स्थान पर कही बुलाती है और वहां पर अपने तीन साथियों को भी बुला लेती है।और अपने साथ छेडखानी अथवा बलात्कार करने की झूठी रिपोर्ट लिखाने की धमकी देकर वह लोग धन तथा उसका सामान ले लेते है। तीनों अभि0 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।फरार साथी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1–सुहैल पुत्र फईमुद्दीन निवासी न्यू शिवाजी नगर थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2–राहिल पुत्र इमामुद्दीन निवासी न्यू शिवाजी नगर थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
3–श्रीमति निक्की पत्नी सुहैल पुत्र निवासी मौ0 शिवाजी नगर थाना पिलखुवा जनपद हापुड।

फरार अभियुक्त का नाम व पताः–

अनिल पुत्र नामालूम निवासी डासना जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः–

1–मो0सा0 अपाची नं0 यूपी 37 ई 4830 ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1– उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2– कां0 767 प्रवीन कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
3– कां0 797 आकाश कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।